

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3771 /

जबलपुर, दिनांक 23 / 08 / 2018

श्री पंकज द्विवेदी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को Kidney transplant होने के कारण दिनांक 18.09.17 से 12.11.17 तक 56 दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 13.11.17 से 12.12.17 तक 30 दिवस का लघुकृत अवकाश एवं अवकाश की पात्रता शेष न होने से दिनांक 13.12.17 से 01.07.18 तक (दि. 01.07.18 शासकीय अवकाश) 201 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार


सही / -  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3772 /

जबलपुर, दिनांक 23 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि रजिस्ट्रार (स्था), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को इस निर्देश के साथ की रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/279 जबलपुर दिनांक 12.01.18 के द्वारा माह जनवरी 2018 से रोके गये वेतन का नियमानुसार वेतन का समायोजन करते हुए, दिनांक 01.07.18 शासकीय अवकाश का लाभ प्रदान करते हुए संबंधित को उपस्थिति दिनांक 02.07.18 से वेतन का भुगतान किये जावे,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री पंकज द्विवेदी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(दीपेश तिवारी)  
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)